

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

स0सं0-11/अंधा0(स्था0)-05/2022- (11)

/पटना, दिनांक-.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 की कडिका-3(3)(ख) के तहत प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-09.01.2023 को अपराह्न 4:00 बजे निर्धारित बैठक की कार्यवाही के आलोक में सरकार के उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापाक-659, दिनांक-09.01.2023 के द्वारा की गई अनुशंसा के क्रमांक-9 में अंकित श्री अमरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त नेत्र सहायक को सिविल सर्जन, मधुबनी के अनुशंसा के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापाक-79(11), दिनांक-20.01.2023 के द्वारा संविदा नियोजन किया गया था तथा पुनः विभागीय पत्रांक-100(11), दिनांक-07.02.2025 के द्वारा श्री अमरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त, नेत्र सहायक को दिनांक-20.01.2025 से एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित किया गया था।

सिविल सर्जन, मधुबनी के पत्रांक-4036, दिनांक-19.12.2025 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अमरेन्द्र कुमार सेवानिवृत्त नेत्र सहायक को निम्नांकित शर्तों के साथ संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नेत्र सहायक के पद पर संविदा नियोजन दिनांक-20.01.2026 से एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है -

क्र0	सेवानिवृत्त कर्मी का नाम	सेवानिवृत्त कर्मी का पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	पदस्थापन के कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमरेन्द्र कुमार	नेत्र सहायक	01.01.1963	31.12.2022	कार्यालय अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी।

- 3 सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापाक 10000 दिनांक 10.7.2015 की कडिका 3 (2)(क)(v) तथा 3 (2)(ख)(v) के तहत प्रावधानित अवधि के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक, के लिए होगा तथा अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार, उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सके, और कार्य सतोषजनक नहीं होने की स्थिति में संविदा रद्द की जा सकेगी।
- 4 सकल्प की कडिका 3 (2) (5) के तहत योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में अ०श०चि०-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. संविदा नियोजित कर्मी का देय मासिक मानदेय का निर्धारण सकल्प की कडिका (3)(6)(i) तथा (3), (7)(iii) के आलोक में किया जाएगा तथा अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संकल्प के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा।
4. मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष संविदा सेवाएं के लिए अदायेगियों इकाई में उपबधित राशि से किया जायेगा।
- 5 सकल्प की कडिका-(4) के तहत सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी।
6. सकल्प की कडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौतिक क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/-

(डॉ० अशोक कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख,

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन),

ज्ञापांक:-11/अंथा०(स्था०)-05/2022-33(11) /पटना, दिनांक-14.01.2026

- प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- श्री अमरेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त, नेत्र सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झंझारपुर, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

AC
131.24.

निदेशक प्रमुख

(मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन),

5/1-स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।
131.24.2026